राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS/R-ITMS-III/1346 दिनांक 16/06/26

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– **R-ITMS का उपयोग सुनिश्चित करने बाबत।**

संदर्भः– पूर्व पत्र क्रमांक 6186 दिनांक 05.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान एकीकृत कर प्रबन्धन प्रणाली (R-ITMS) के अन्तर्गत राज्य सरकार के कार्मिकों को भुगतानों से संबंधित आयकर कटौती, प्रोजेक्शन्स, Declarations, 24Q जनरेशन, कोषालय व आहरण वितरण अधिकारियों से संबंधित आयकर प्रावधान वित्त (वित्तीय नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ–75)कोष / IFMS / R-ITMS-III / 6640–6661 दिनांक 03.02.2025 द्वारा एवं पेंशनर्स IT-TDS, Vendor IT-TDS एवं GST-TDS से संबंधित विभिन्न प्रावधान वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(4)FD/GF&AR/2006/Part दिनांक 15.07.2025 द्वारा लागू किए गए है।

संदर्भित पत्र द्वारा सभी विभागों के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा R-ITMS का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु लिखा गया था परन्तु R-ITMS के यूजर डेटा के आकलन से परिलक्षित होता है कि अभी भी अधिकांश आहरण वितरण अधिकारियों एवं कोषाधिकारियों द्वारा IT-TDS, Vendor IT-TDS एवं GST-TDS से संबंधित कार्यों एवं रिटर्न जनरेशन हेतु R-ITMS का उपयोग नहीं किया जा रहा है जिससे R-ITMS लागू किए जाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ सभी आहरण वितरण अधिकारियों को IT-TDS, Vendor IT-TDS एवं GST-TDS से संबंधित कार्यों के लिए R-ITMS का पूर्ण उपयोग किए जाने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।

IT-TDS, Vendor IT-TDS एवं GST-TDS से संबंधित रिटर्न फाइल करने के लिए R-ITMS पर सभी प्रावधान उपलब्ध हैं। उक्त रिटर्न से संबंधित कार्यों के लिए यदि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संबंधित सेवाओं की आवश्यकता हो तो R-ITMS पर Subscription लिए जाने के लिए भी प्रावधान उपलब्ध है।

R-ITMS के लिए तकनीकी सहयोग Helpline no. 9667041042 एवं ई–मेल आई.डी. support.ritms@rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीया
15/6/2026
(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752

क्रमांकः एफ.5(थ--75)डीटीए / IFMS/R-ITMS-III/ 1346 दिनांक 16/06/26

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
2. कोषाधिकारी समस्त, राजस्थान को Tax caculation एवं Return generation का कार्य R-ITMS के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने हेतु।
3. श्री आदित्य प्रकाश गौतम, उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी R-ITMS
4. श्रीमती प्रीति सुरोलिया, महाप्रबन्धक तकनीकी, RISL योजना भवन, जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक **(IFMS)**

ए—ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752